दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 27-07-2025

आशंका बनी रहती है।

अवमानना मामले में डीआईजी व जांजगीर एसपी को नोटिस

बिलासपुर| अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने डीआईजी और जांजगीर एसपी को नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है। मामला अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है। पामगढ़ निवासी विक्की भारती के पिता पुलिस विभाग में पदस्थ थे। उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली, लेकिन विभाग ने उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त कर दिया। इसे लेकर विक्की भारती ने रिट याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए 90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। समय बीतने के बाद भी जब नियुक्ति नहीं दी गई तो अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व प्रिया अग्रवाल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। अधिवक्ताओं ने याचिका में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन समयावधि के भीतर न कर लगातार आदेशों की अवमानना की जा रही है। जुलाई 2025 तक 1149 अवमानना याचिकाएं दायर हो चुकी है। याचिका में अधिवक्ताओं ने अवमानना कर्ता डीआईजी पारूल माथुर और जांजगीर एसपी विजय पांडेय के खिलाफ धारा 12 के तहत कठोर दंडादेश दिए जाने की मांग की।

नर्सिंग होम सील करने से पहले 30 दिन का नोटिस जरूरी: हाई कोर्ट

सरायपाली के नर्सिंग होम को खोलने मिली अनुमति

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

नर्सिंग होम और क्लिनिकल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है। सिंगल बेंच ने कहा है कि इसमें तय मापदंडों और नियमों का पालन करना जरूरी है। संबंधित अधिकारी उस अस्पताल या नर्सिंग होम को 30 दिन का नोटिस जारी करेगा, जिसे बंद या सील किया जाना है। लाइसेंस निरस्त या निलंबित करने से पहले भी प्रक्रिया का पालन करना होगा। नोटिस में कारण का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित मातृ केयर नर्सिंग होम को दोबारा खोलने की अनुमति दी है।

मामले में कोर्ट ने अस्पताल खोलने की अनुमति देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामला सरायपाली के प्रशांत कुमार साहू की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल में लापरवाही से इलाज किया गया, जिससे उनकी पत्नी विकलांग हो गई। प्रशांत ने सरायपाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि 10 अक्टूबर 2024 को उनकी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर शिबाशीष बेहरा ने किया था, लेकिन ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके कारण उनकी पत्नी को स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचा। शिकायत के आधार पर महासमुंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया था। अस्पताल संचालक शिबाशीष बेहरा ने कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल को फिर से चालू करने की अनुमति दी है।